



बोडश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

छ्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित छ्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-30.03.2017 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री सुबाप सिंह,
स०वि०स०

“बिहार में 15 वर्षों से शिक्षा अनुदेशक कार्यरत थे। शिक्षा ये लोग 6 वर्ष से 14 वर्ष के वैसे बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे जो बच्चे किसी न किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते हैं। सभी लोग केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत कार्यरत थे, परन्तु वर्ष 2000 में यह योजना समाप्त हो जाने के बाद से कार्यरत अनुदेशक बेरोजगार हो गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अनुदेशकों की सेवा समायोजन करने का आदेश दिया है जिसके तहत शिक्षा विभाग ने नियुक्त अनुदेशकों की पहचान के लिये जिला स्तर पर कमिटी का गठन किया है, परन्तु अभी तक नियुक्त नहीं हो सकी है।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश का अनुपालन करते हुए अनुदेशकों का अविलम्ब समायोजन हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।”

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री अमर नाथ गामी,
स०वि०स०
श्री समीर कुमार महासेठ,
स०वि०स०
श्री अजीत शर्मा,
स०वि०स०
श्री राज कुमार राय,
स०वि०स०

“राज्य में कृषि बाजार समिति का विघटन कृषि वर्ष 2005 में हुआ था। वर्तमान में राज्य के कृषि बाजार समिति शिवधारा दरभंगा, हाजीपुर, सासाराम, बिहार शरीफ, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गुलाबबाग, पटना सहित सभी बाजार समिति प्रांगणों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। बाजार प्रांगणों, सड़क, सीवरेज के पानी का निकास एवं जलापूर्ति पाईप सभी छवत हो गये हैं। व्यापारी, किसान एवं मजदूर को आने जाने में कठिनाई हो रही है। बाजार प्रांगण की चाहरदीवारी टूट गयी है, जिससे पूरा परिसर असुरक्षित है।

अतः राज्य के सभी बाजार समिति प्रांगणों की सड़क, नाली एवं जलापूर्ति पाईप का पुनर्निर्माण कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-22/17- २३२९-२५०८ विंस०, पटना, दिनांक-२९ मार्च, 2017 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्य मंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा कृषि विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पौष्टि कुमार सिंह
(पांडव कुमार सिंह) २९/३/१७
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-22/17- २३२९-२५०८ विंस०, पटना, दिनांक-२९ मार्च, 2017 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

पौष्टि कुमार सिंह
(पांडव कुमार सिंह) २९/३/१७
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।